



व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

E-Mail-eicpwwd@nic.in

पत्रांक: 2911/82व्यक-सा0/2019
सेवा में,

दिनांक 01/11/2019

समस्त मुख्य अभियन्ता समस्त अधीक्षण अभियन्ता समस्त अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड

विषय:- लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 50 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- शासकीय पत्रसंख्या-1537/111(1)/19-01(14)अधि0/17 दिनांक-30.10.2019।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 50 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रारूप की प्रति प्रेषित करते हुये अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के कार्यालयों में कार्यरत समूह-क, ख, ग एवं घ श्रेणी के 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में शासकीय पत्रसंख्या-1007/111(1)/19-01(14)अधि0/17 दिनांक-12.07.2019 में दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त विगत वर्षों में कार्मिकों द्वारा लिये गये चिकित्सा आकाश, असाधारण अवकाश, अर्द्धवेतन अवकाश अथवा अन्य प्रकार के अवकाश (उपार्जित अवकाश को छोड़कर) आदि का भी परीक्षण कर स्कीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर स्कीनिंग कमेटी की संस्तुति सहित अविलम्ब/02 दिनों के भीतर शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत संकलित सूचना विभागाध्यक्ष कार्यालय पर स्थापित अधिष्ठान के वर्ग (यथा:-व्यवस्थापन-क वर्ग में समूह-क/ख श्रेणी, व्यवस्थाप-ख वर्ग मुख्य अभियन्ता संवर्ग/वृत्तीय संवर्ग, व्यवस्थापन-ग वर्ग खण्डीय संवर्ग, व्यवस्थापन-घ वर्ग समूह-ग श्रेणी, एवं कार्यप्रभारित वर्ग-समूह-घ श्रेणी) के अनुसार संकलित सूचना संलग्न प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त क्रम में शासकीय पत्रसंख्या-1537/111(1)/19-01(14)अधि0/17 दिनांक-30.10.2019 की प्रति एवं प्रारूप संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि समूह-क, ख, ग एवं घ श्रेणी के 50 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण कर चुके कार्मिकों का विवरण यथा:-चिकित्सा आकाश, असाधारण अवकाश, अर्द्धवेतन अवकाश अथवा अन्य प्रकार के अवकाश (उपार्जित अवकाश को छोड़कर) आदि का भी परीक्षण कर संलग्न प्रारूपों पर Kruti Dev 016 में संकलित कर साफ्ट एवं हार्ड कापी सहित प्रत्येक दशा में दिनांक-05.11.2019 तक इस कार्यालय में संकलित करवाना सुनिश्चित करें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा समयबद्ध प्रकृति का होने के कारण इस पर आपका व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना अनिवार्य है।

संलग्न-यथोपरि।

(हरिओम शर्मा)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
02. वेरिष्ठ स्टॉफ आफिसर/अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून।
03. अधिशास अभियन्ता आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संलग्न प्रारूप विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। (संलग्न-प्रारूप)
04. वरिष्ठ/प्रशासनिक अधिकारी अधिष्ठान वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

01/11/19

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 50 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिकों के सम्बन्ध में विगत 10 वर्षों में लिये गये अवकाशों/अनुपस्थिति का विवरण।

क.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय	जन्मतिथि	अवकाश का प्रकार/अनुपस्थिति	अवकाश/अनुपस्थिति की अवधि (कलैन्डर वर्ष वार)										टिप्पण
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

नोटः:- अनुपस्थिति से तात्पर्य बिना अवकाश स्वीकृति की अवधि से है।

- प्रमाण पत्र:-
01. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में कार्यरत समस्त ऐसे कार्मिक जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है का विवरण अंकित कर लिया गया है।
 02. प्रमाणित किया जाता है कि सेवा अभिलेखों से उपरोक्त विवरण का सत्यापन कर लिया गया है।

हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1

विषय:- राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1007/111(1)/19-01(14)/अधि0/17, दि0 12.07.19 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 06.07.2017, दिनांक 20.02.2002 एवं दिनांक 30.06.2003 तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 व्यवस्थानुसार 50 वर्ष की आयु प्राप्त, जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यशैली अप्रभावी है, जिनका पिछला रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं है तथा शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही बरते जाने सम्बन्धी ऐसे कार्मिकों को सूचीबद्ध किये जाने के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से बैठक आहूत करते हुये अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही किये जाने तथा जिन अधिकारियों के सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है के सम्बन्ध में सूचना 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराये जाने हेतु आपको को निर्देशित किया गया, परन्तु सम्प्रति आख्या/सूचना अप्राप्त है।

2- इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-218 दिनांक 24.07.2019 द्वारा राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में अपने विभाग के अन्तर्गत 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष नियमित रूप से कराते हुये सूचना कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 24.07.2019 एवं शासन के पत्र दिनांक 12.07.2019 की छायाप्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 12.07.2019 में दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त विगत वर्षों में कार्मिकों द्वारा लिये गये चिकित्सा अवकाश, असाधारण अवकाश, अर्द्धवेतन अवकाश अथवा अन्य प्रकार के अवकाश (उपार्जित अवकाश को छोड़कर) आदि का भी परीक्षण कर स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति की सूचना अविलम्ब/02 दिनों के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,
Pradiip Singh
(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

C.ECH
प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

1340

SSD (Est)

01.11.19
असाज अहमद
मुख्य अभियन्ता (मु0)

EE (आप0)
M
(SSD) 11/11/19

देहरादून, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019

